संख्या- 723/एक-10-2025

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हापुड़ एवं अमरोहा।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई, 2025

विषयः- कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों (Next of Kin of the deceased) को रू0 50,000/- प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने के सम्वन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी हापुड़ एवं जिलाधिकारी, अमरोहा द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अहेतुक सहायता दिए जाने के सम्वन्ध में राहत की वेवसाइट पर फीड/अपलोड किये गये प्रकरणों में वजट के अभाव में लम्वित दर्शित प्रकरणों के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में निम्न विवरण एवं शर्तों के अधीन निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित जनपदों के सम्मुख कॉलम-4 के अनुसार अंकित धनराशि सम्वन्धित जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

क्र0सं0	जनपद का नाम	बजट अभाव में भुगतान हेतु लम्वित प्रकरण	स्वीकृत धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4
1.	हापुड़	02	1,00,000/-
2.	अमरोहा	01	50,000/-
योग		03	1,50,000/-
(रू0 एक लाख पचास हजार मात्र)			

<u>नियम व शर्ते/प्रतिवन्ध</u>

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2026 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2026 के पूर्व समर्पित कर दी जाय।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का समस्त लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेवसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संवंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(6) माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 1,50,000/- (रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-51 के लेखाशीर्ष-2245-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पोंस फंड से व्यय-0610-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
SHAILENDRA MANI TRIPATHI
Date: 18.07.2025 12:15:26

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या- 723(1)/एक-10-2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4- वरिष्ट वित एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
5- नोडल अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 (बजट आवंटन), उ0प्र0 शासन।
6- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

विित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-28/07/2025

प्रेषण संख्या:- 723
आवंटन आदेश संख्या:- 001-723
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
10 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	अमरोहा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	50000 50000	50000 50000
2	हापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	100000 100000	100000 100000
	योग	वर्तमान प्रगामी	150000 150000	150000 150000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक लाख पचास हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक लाख पचास हजार

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी